न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 439–पीबीआर/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 5–12–2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण कमांक 55/अपील/2011–12

श्रीमती राधा महाजन पति गिरीराज महाजन,
निवासी अवनीग्राम कॉलोनी खरगोन
तहसील व जिला खरगोन

.....आवेदिका

विरूद्ध

1–रमेशचन्द्र पिता बालचन्द्र जैन
निवासी मनावर जिला धार
2–श्रीमती सरिता पति अरविन्द गुप्ता
निवासी बड़वानी जिला बड़वानी
3–नरेश पिता केशरमलजी जैन
निवासी सुभाष मार्ग बडवानी
4–अशोक पिता केशरमलजी जैन
निवासी सुभाष मार्ग बडवानी

..... अनावेदकगण

श्री विजय आसुपानी, अभिभाषक, आवेदिका
श्री एच.एन.फड़के, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/9/16 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–12–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक कमांक 1 व 2 द्वारा कस्बा बडवानी स्थित भूमि सर्वे कमांक 208 रकबा 3.49 एकड़ एवं सर्वे कमांक 207 रकबा 3.29 एकड़ में से रकबा 2–2 एकड़ के व्यपवर्तन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 28/अ–2/2009–10 दर्ज कर दिनांक 28–9–2010 को आदेश पारित किया जाकर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 10–5–2011 को आदेश पारित किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 28–9–2010 निरस्त करते हुये संहित की धारा 51 के तहत स्वमेव पुनरीक्षण की अनुमति सहित प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया गया कि वे आदेश में वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अनावेदक कमांक 1 एवं 2 की समस्त भूमियों के व्यपवर्तन, कय–विकय एवं अन्तरण की जॉच करें एवं इस बात की पुष्टि करें कि अनावेदक कमांक 1 व 2 के पास कितनी भूमि शेष रही, अग्रिम कार्यवाही करें । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 5–12–2012 को आदेश पारित कर अपर कलेक्टर का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मुख्य रूप से केवल यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमियों में से आवेदिका द्वारा अनावेदक कमांक 1 व 2 की भूमियों से जितनी भूमि कय की गई उसे छोड़कर शेष भूमि का डायवर्सन यथावत् रखा जाये ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्को में मुख्य रूप से आवेदिका अधिवक्ता के तर्को को समर्थन देते हुये यह कहा गया कि आवेदिका की भूमि को पृथक किया जाकर शेष भूमि का डायवर्सन यथावत् रखा जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मौके पर उपलब्ध भूमि से ज्यादा भूमि का व्यपवर्तन करने संबंधी आदेश पारित

किया गया है जो कि निश्चित तौर पर अवैधानिक एवं त्रुटिपूर्ण कार्यवाही है, ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी की अनुमति सहित अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिक अथवा अनियमितता नहीं की गई है । यहॉ यह भी विचारणीय प्रश्न है कि विक्रय पत्र में बाद में संशोधन हो जाने के आधार पर पूर्व में पारित आदेशों को विधिसंगत नहीं ठहराया जा सकता है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि आवेदक को विधिवत् नये सिरे से अपनी भूमि का व्यपवर्तन कराना चाहिये । जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश पूर्णतः वैधानिक एवं उचित आदेश है, अतः उसकी पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसलिये उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–12–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर